OL-34-वयक्तिश:आदेश 1/2421352/2025



कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



उप क्षेत्रीय कार्यालय,ठाणे प्लॉट: ए-12/1, एम आई डी सी, एल बी एस मार्ग, वागले इस्टेट डाकघर के पास, ठाणे (प.), महाराष्ट्-400604 Sub Regional Office, Thane
Plot No.-A-12/1, MIDC, LBS Marg, Next to Wagle Estate
Post Office, Thane(W), Maharashtra-400604
Telephone- 022-69074700 to 799

Email: dir-thane@esic.nic.in, Website: -esic.nic.in

दिनांक 07/04/2025

फा.सं.-ओ.एल.-34-व्यक्तिशः आदेश

व्यक्तिशः आदेश Individual Order

विषय Subject: - राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना कार्यालय कार्य हिंदी में निष्पादित करने हेतू व्यक्तिशः आदेश। Individual Order under Rule 8(4) of Official Language Rules, 1976 to the officers/employees who have proficiency in Hindi, to execute their official work in Hindi.

भारत सरकार के राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय में हिंदी का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। चूंकि आप हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं, अतः उक्त राजभाषा नियम के अंतर्गत और मुख्यालय के पत्र संख्या:-ए.49/11/1/2009/राजभाषा दिनांक 19.05.2010 के अनुसरण में आपको यह आदेश दिया जाता है कि आप टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय में केवल हिंदी का प्रयोग करेंगे।

Under Rule 8(4) of the Official Language Rules, 1976 of Govt. of India, all the officers/employees of the central government offices situated in Region "A" and "B" who have proficiency in Hindi are expected to use Hindi in noting, drafting and other official purposes in the office. As you are proficient in Hindi, so under the said Official Language Rule and in compliance of Headquarter's letter no. A/49/11/1/2009/Rajbhasha dated 19.05.2010, you are ordered to use only Hindi in noting, drafting and other official purposes in the office

	(सुधाकर सिंह Sudhakar Singh)
	संयुक्त निदेशक (प्र.) Joint Director (I/c.)
श्री(Mr.)/सुश्री(Mrs.)	

प्रतिलिपि Copy To:-

- 1. सभी शाखा प्रबंधक/डी.सी.बी.ओ. प्रभारी कृपया इस आदेश को अनुपालनार्थ संज्ञान में लें एवं सभी अधीनस्थ (केवल प्रवीणता प्राप्त) कार्मिकों को व्यक्तिशः आदेश देकर कार्मिक सूची में उनसे हस्ताक्षर लेकर इस कार्यालय को प्रेषित करें। All the Concerned Branch Managers/DCBO in-charges to kindly take note of this order for compliance and issue these orders to all the subordinate staff (only proficient in Hindi) and take their signatures on the employee list and send the same to this office
- 2. वैयक्तिक सहायक कक्ष, उप निदेशक (प्र.), उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे P.A. Cell, Joint Director (I/c.), Sub Regional Office, Thane
- वेबसाइट प्रबंधक/आईसीटी शाखा, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे को वेबसाइट पर अपलोड करने हेता. Website Manager/ICT Branch, Sub Regional Office, Thane to upload on website.